

राजस्थान सरकार
राजस्व (गुप-6) विभाग

क्रमांक : प.6(2)राज.-6/2020/85


जयपुर, दिनांक : 21-09-2021

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व (लवणीय क्षेत्र में भूमि का आवंटन) नियम, 2007 के नियम 6 के उप-नियम (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा द्वारा नीचे अनुसूची में वर्णित भूमियों के क्षेत्र को, जिसे राजस्व (ख) विभाग की आज्ञा क्रमांक प.2 (168) राज/ख/गुप-3/71 दिनांक 15.02.1973 से लवण क्षेत्र घोषित किया गया था, में आंशिक संसोधन करते हुए अनुसूची में वर्णित भूमियों को तत्काल प्रभाव से लवणीय क्षेत्र से वापिस लेती है:-
अनुसूची


ग्राम	तहसील	जिला	खसरा नं.	किस्म	क्षेत्रफल	लवणीय क्षेत्र से वापिस लिया जाने वाला क्षेत्रफल
जाब्दीनगर	नांवा	नागौर	3	गै0मु0 खार	1500.00 बीघा	1500.00 बीघा
कुल रकबा						1500.00 बीघा

राज्यपाल की आज्ञा से,


21/09/2021
(समचंद्रन शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सचिव, मा0 राजस्व मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उद्योग विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग।
4. आयुक्त, उद्योग विभाग, जयपुर।
5. संभागीय आयुक्त, अजमेर।
6. जिला कलक्टर, नागौर।
7. निदेशक राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को असाधारण अंक में दिनांक 21-9-21 में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
8. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
9. राविरा, राजस्व मण्डल अजमेर।
10. समस्त संयुक्त शासन सचिव एवं उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।
11. रक्षित पत्रावली।


21/09/2021
शासन उप सचिव